न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–385/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00358)

1. बोदुराम पुत्र स्व. श्री भॅवरलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सहायक वन संरक्षक, जयपुर उत्तर

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेन्द्र कुमार एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री सुरेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 13.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी व अन्य के नाम से पुराने गृहो का विनियमितिकरण का पट्टा संख्या 08 मिसल संख्या 306/7/9/09 दिनांक 30.06.09 को नियम 157 राजस्थान पंचाचयत राज अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत बिलौची पंचायत समिति आमेर द्वारा जारी किया गया है जो कि अपीलार्थी के स्वामित्व व कब्जे के आधार पर जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा अपनी सील व हस्तक्षारित प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2001 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर 188 व नया खसरानमबर 968 रकबा 74 बीघा में से 1.20 हैक्टयर भूमि पर बोदूराम व गुल्लाराम पुत्रान भौरीलाल का कब्जा काश्त कदीमी से चला आ रहा है और उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है और इस भूमि में से पूर्व में करीबन 30 बीघा भूमि बिरदू कुम्हार व भैरू पुत्र छोटू नायक व जगदीश सोनी आदि को आवंटन हुयी है और यदि बोदूराम पुत्र भौरी को उक्त भूमि में से 6 बीघा भूमि नियमन या आवंटन कर दी जाती है तो ग्राम पंचायत बिलौची व सरपंच को इससे कोई ऐतराज नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपलार्थी ने राजस्व कैम्प अधिकारी ग्राम पंचायत बिलौची को दिनांक 03.12.2001 में एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार द्वारा सन् 1994 तक के नियमन के प्रसारित आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि की किस्म बदलने का निवेदन किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चौंमू द्वारा क्र. जेपीडी/स.अ./पवस/उपभौक्ता शाखा/प्रे.5682 दिनांक 25.09.2008 द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर कृषि कनेक्शन जारी किया गया है जो वर्तमान में भी चालू है। उन्होने आगे कथन किया है कि नायब तहसीलदार आमेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा संख्या 218/1990 के अपने निर्णय दिनांक 25.01.1992 में यह माना है कि अपीलार्थी का 20 वर्षो पुराना 5 बीधा भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है तथा पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रकरण नियमन योग्य प्रतीत होता है और मूल पत्रावली को नियमन हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर को प्रेषित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने एक वाद संख्या 284/2006 उनवानी बोदूराम बनाम सरकार उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहॉ प्रस्तुत किया और पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर काश्तकार घोषित किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया जो कि विचारण न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 465/2015 प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी आमेर को निर्णय दिनांक 19.08.2015 को निरस्त फरमाकर प्रकरण को निश्चित बिन्दुओं के आधार पर निर्णित करेन हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लम्बित है जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 व 06.02.2013 को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर स्वयं के स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत नही किये गये है और न्यायालय श्रीमान् के समक्ष भी प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेनट संख्या 2 ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 188 की प्रकृति खसरा परिवर्तन में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है परन्तु उक्त भूमि में से भी अपीलार्थी को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है, राज्य सरकार की विज्ञप्ति राजस्व गुप्र–8 विभाग एफ.2(11) राजस्थान/8/77 दिनांक 10.03.1978 जारी हुई जिसमें अनुसूची मे समाविष्ठ वन भूमि एव बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार की ओर से प्राईवेट व्यक्यिों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम 1953 संख्या 13 की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है। उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार एतद्

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय के 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होगें जो कि रक्षित वन कहलाया जायेगा। इस प्रकार वनखण्ड विलौची मौजा घटवाड़ा की लगभग 286–85 एकड़ भूमि रक्षित वन भूमि घोषित की गई जिसके खसरा नम्बर 429 की 49220 वर्गमीटर भूमि के पीलर संख्या 114/1 से 115 के मध्य लगभग 214X230 मीटर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जबकि उक्त भूमि वन विभाग की रक्षित वन भूमि है तथा वन विभाग द्वारा उक्त वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा का विवरण प्रपत्र–2 के अनुसार तैयार किया गया तथा वन विभाग द्वारा मौके पर दिनांक 31.03.2010 को मौका पंचनामा बनाया गया तथा नजरी नक्शा कसीद किया गया एवं वनपाल द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट को पर्याप्त एवं समुचित रूप से सुनकर दिनांक 26.09.2012 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक जयपुर उत्तर द्वारा आदेश पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा भी अपीलान्ट को समुचित अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 पारित किया गया है जो आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त वन विभाग की भूमि होने एवं उस पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त भूमि विवादग्रस्त अपीलार्थी के नाम विधिवत रूप से दर्ज रिकार्ड होना साबित होता हो। यदपि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष काश्तकार घोषित कराने का वाद रिमाण्ड होने पर विचाराधीन है जिसमें निर्णय होने शेष है। ऐसी स्थिति में वाद में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी किन्तु वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पक्ष में स्वामित्व संबंधी को साक्ष्य, सबूत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

13/12/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.012.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/12/2021

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।